रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 203] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 29, 1983/वैशाख 9, 1905
No. 203] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 29, 1983//VAISAKHA 9, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1983

का.आ. 343(अ) :—चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 16ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार वाणिज्य मंत्रालय में भारत सरकार के दिनांक 2 नवम्बर, 1982 के आदेश सं.

का.आ. 780(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में तीसरे पैराग्राफ में "180 दिन" आंकड़ों और शब्द के लिए "270 दिन" आंकड़े और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. बी-12012(3)/79-प्लांट-ए]

अजीत सिंह चट्ठा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 29th April, 1983

S.O. 343 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 16B of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby makes the following amendments in the order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 780(E) dated the 2nd November, 1982 namely :—

In the said order, in the third paragraph for the figures and words "180 days" the figures and words "270 days" shall be substituted.

[F. No. B-12012(3)/79-Plant A]

A. S. CHATHA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983